न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
008/2022(रा.प्रा.प.) (GCMS 2022/375)	18.10.2022	23.07.2024

अनवान

नन्दकिशोर पिता मोतीलाल जाति धाकड निवासी बांगेडा घाटा तहसील तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती केसर पत्नी राधेश्याम जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति धाकड निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–		
	हीरालाल सुखवाल	प्रार्थी
	छोगालाल जाट	अप्रार्थी संख्या 1, 2
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 3

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 पत्रावली संख्या तारीख आवंटन 11.11.2021 उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा</u>

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा बांगेडा घाटा की बिलानाम आराजी संख्या 1039/2033 रकबा 2.55 हैक्टेयर में से 0.70 हैक्टेयर भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य हैं। प्रार्थीगण का काफी पुराना कब्जा हैं जिसकी कोई जांच पडताल नहीं थी विपक्षी संख्या 1 व 2 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 29.11.2022 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से पत्र क्रमांक/राजस्व/2023 /1022 दिनांक 22.08.2023 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई हैं जो कि पत्रावली के साथ हम किता होकर रिकार्ड पर हैं। दिनांक **21.05.2024 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसरों के उपरांत न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया।** दिनांक 03.07.2024 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया गया। इस पर प्रकरण में उभयपक्षकारान बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर मौजा बांगेडा घाटा की बिलानाम आराजी संख्या 1039/2033 रकबा 2.55 हैक्टेयर में से 0.70 हैक्टेयर भूमि का आवंटन आदेश अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। विवादित आवंटित भूमि निगराकार के खातेदारी से लगी हुई होकर निगराकार का काफी वर्षो पूर्व से कब्जा चला आ रहा है व वक्त आवंटन आदेश भी व उसके पश्चात् आज दिनांक तक निगराकार का ही कब्जा चला आ रहा है।

भू–आवंटन कमेटी द्वारा पारित आवंटित आराजी संख्या 1039/2033 के संबंध में कमेटी द्वारा कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। बिना अधिसूचना के उक्त बिलानाम आराजीयात को विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटन आदेश पारित किया गया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि प्रार्थी का आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं है, प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल मात्र आवंटन पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जबकि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है। मात्र इसी आधार पर आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

इसके साथ ही भू–आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में भू–आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है।

प्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आती है और आवंटन की पूरी पात्रता रखते है। आवेदन में भी 0.70 हैक्टेयर भूमि का आवंटन हेतु पात्र माना गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में सरकार द्वारा भूमिहीन कृषको को अभियान अन्तर्गत ही भूमि आवंटन के आदेश थे और उस अनुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण बैठक में आवंटन का आदेश पारित किया गया हैं जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है।

आवंटन कमेटी द्वारा विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाकर विपक्षीया का आवेदन लेकर मौके की रिपोर्ट पटवार हल्का तलब की गयी तथा आवंटन कमेटी की राय लेकर विपक्षी भूमिहीन कृषक होने से भूमि आवंटित की गयी है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि को स्वयं के लिये आवंटित कराये जाने एवं खातेदारी में कराये जाने की कभी भी कोई चाराजोही नहीं की गयी हैं और प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि के आवंटन हेतु कोई आवेदन भी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

आराजी नम्बर 1039/2033 काबिल काश्त बिलानाम भूमि हैं पटवार हल्का की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दी गयी हैं। उपरोक्त भूमि कभी भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नहीं रही है। प्रार्थीगण गलत तथ्य प्रस्तुत कर विपक्षी को नुकसान पहुंचाने एवं जमीन हड़पने की नियत से आवेदन पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश हुआ है तथा प्रार्थीगण को प्रशासन गांवो के संग अभियान में उक्त आवंटन की पूरी जानकारी थी। प्रार्थीगण गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है जो मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि विपक्षीगण बांगेडाघाटा के निवासी नहीं होकर कनेरा के निवासी है, तथा कनेरा में विपक्षीगण के नाम पर कृषि भूमि हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आते है। सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है। आवंटन अधिकारी ने सरपंच के कहेन पर उक्त भूमि आवंटित की है चूंकि विपक्षी संख्या 1 के पिता बांगेडा घाटा के सरपंच हैं और उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर उक्त भूमि आवंटित करवाई है। विपक्षी संख्या 1 के पिता सरपंच होने के कारण गलत रूप से उक्त भूमि विपक्षीगण के नाम पर आवंटित की है, अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है, अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में विधिक प्रावधानों के अनुसरण में नियमानुसार आवंटन किया जाहिर कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.
(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.
(3) XXX delted XXX]
(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इसके के साथ ही जहां आवंटन आदेश के कॉलम संख्या 3 के उप–कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि भूमि आवंटन किये जाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 5 व 6 की समुचित पालना की गई हैं।

नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि प्ररूप–2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हैं, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, जिससे हस्तगत आवंटन विधि अनुसार पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदित होता हैं।

इसके साथ ही आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि उभयपक्षकारान द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उक्त आवंटन आराजी संख्या 1039/2033 रकबा 2.55 हैक्टेयर भूमि से किया गया हैं, ऐसी स्थिति 2.55 हैक्टेयर भूमि में से विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं।

इसके साथ ही आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा एवं आवंटन शर्तो की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हैं, जिससे यह प्रमाणित हो सके की विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा–काश्त है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है।

अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निगरानी के चलने योग्य नहीं होने का तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में प्रार्थी की और से आवंटन आदेश दिनांक 11.11.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की गई है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन की अनुशंषा की जाती हैं, किन्तु अंतिम रूप से आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा की किया जाता हैं, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

इसके के साथ ही प्रार्थी द्वारा इस तथ्य को उठाया गया है कि सरपंच द्वारा अपनी पुत्री अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन कराया गया है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत बांगेडा घाटा के सरपंच **श्री रतनलाल** द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में आवंटन की अनुशंषा किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली से प्रमाणित पाया जाता हैं, **आवंटन सलाहकार समिति का कोई भी सदस्य स्वयं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर आवंटन हेतु अनुशंषा नहीं कर सकता है** अगर अप्रार्थीगण सरपंच के पारिवारिक सदस्य है तो आवंटन निश्चित रूप से विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कथन/खण्डन नहीं किया गया है जिसको कि इस तथ्य की मौन स्वीकृति के रूप में देखा जा सकता है।

इसके साथ ही आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण कब्जा का भी प्रमाणित नहीं है। यदि कब्जा प्रार्थीगण का माना भी जाये तो प्रार्थीगण अतिचारी की श्रेणी में आते है, ऐसी स्थिति में विपक्षी को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 330/2021 दिनांक 11.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 330/2021 दिनांक 11.11.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 330/2021 दिनांक 11.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **23.07.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official